

जनपद बरेली
प्रेस नोट दिनांक 02.09.2025
थाना- सिरौली

थाना- सिरौली पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

दिनांक 01.09.2025 को उ0नि0 रामकुमार लहरी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र जाति विशेष/ हिन्दु धर्म को लेकर ट्विट Instagram/Facebook पर जिसमे देवकी के घर से कृष्ण जब भगवान स्वयं स्त्री गर्भ से पैदा हुए, कौशल्या के गर्भ से राम पैदा हुए तो पाखंडियो ब्राह्मा के मुख से ब्राह्मण कैसे पैदा हो गया के आधार पर बावत अभियुक्त पुरुषोत्तम द्वारा Instagram/Facebook पर पोस्ट डालकर ब्राह्मण समाज के लोगो की भावनाओ को आहत करने के सम्बन्ध मे मु0अ0स0 345/25 धारा 353(2) बीएनएस बनाम पुरुषोत्तम मौर्य पुत्र श्री चूरीलाल मौर्य उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम केसरपुर थाना सिरौली जनपद बरेली पंजीकृत किया गया।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बरेली द्वारा अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत व व श्रीमान पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी मीरगंज के कुशल पर्यवेक्षण मे थाना सिरौली पुलिस द्वारा दिनांक 02.09.2025 को अभियुक्त पुरुषोत्तम मौर्य पुत्र श्री चूरीलाल मौर्य उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम केसरपुर थाना सिरौली जनपद बरेली को गिरफ्तार किया गया। थाना पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को 170/126/135 बीएनएसएस में गिरफ्तार कर चालान कर अग्रिम कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अभियुक्त उपरोक्त ने अपनी कृत्य की माफी माँगते हुये कहा कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं करेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

पुरुषोत्तम मौर्य पुत्र श्री चूरीलाल मौर्य उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम केसरपुर थाना सिरौली, बरेली।

आपराधिक इतिहास: -

मु0अ0स0 345/25 धारा 353(2) बीएनएस थाना थाना सिरौली, बरेली।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम:-

1. प्र0नि0 श्री जगत सिंह थाना सिरौली, बरेली।
2. उ0नि0 श्री अभिषेक मोहन थाना सिरौली, बरेली।
3. का0 623 दुर्गेश कुमार थाना सिरौली, बरेली।